



सत्यमेव जयते

## राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग

### National Commission for Scheduled Tribes

(भारत के संविधान के अनुच्छेद 338क के अंतर्गत एक संवैधानिक निकाय)

(A constitutional body under Article 338A of the Constitution of India)

#### SITTING NOTICE

File No. NCST/SER-895/JH/17/2023-SSW

Dated:- 04.06.2024

सेवा में,

Shri Samiran Dutta  
Chairman-cum-Managing Director  
Eastern Coalfields Limited  
Sanctoria, P.O: Dishergarh,  
District-West Bardhman (West Bengal) - 713333  
(Email: cmd.ecl.cil@coalindia.in, Ph No. 0341-2520545)

विषय:- अनुसूचित जनजाति के कर्मचारी के परिवार वालों को अनुकम्पा के आधार पर नौकरी न देने के संबंध में -  
कुमारी दुलाली कोले पुत्री स्व. श्री आशु कोले, (Ex- E P Fitter of Gourandi Colliery of Salanpur Area,  
ECL) जिला-जामताड़ा, झारखंड का दिनांक 08.02.2023 का अभ्यावेदन।

संदर्भ:- ECL letter no. ECL/CMD/C-6/E-8/NCST/2024/2359 dated 31.05.2024

महोदय,

चूंकि राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 338क के अधीन प्रदत्त शक्तियों के अनुसरण में उक्त उल्लिखित प्रकरण का अन्वेषण करने का निर्णय लिया है।

2. डॉ. आशा लकड़ा, माननीय सदस्या, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग ने इस प्रकरण में अन्वेषण/जांच / की जाने वाली कार्रवाई के लिए हॉल - युवराज, बीएनआर चाणक्य होटल, रांची - 834001 में दिनांक 13.06.2024 को 04:20 बजे सिटिंग (बैठक) निर्धारित की है।

3. तदनुसार, आपसे अनुरोध है कि कृपया उक्त निर्धारित तिथि एवं समय पर उक्त मामले से सम्बंधित संपूर्ण तथ्यों एवं सभी संगत मूल अभिलेखों/ दस्तावेजों के साथ व्यक्तिगत रूप से माननीय सदस्या के समक्ष परीक्षण के लिए उपस्थित होना सुनिश्चित करें।

4. कृपया ध्यान रखें कि यदि आप बैठक में उपस्थित नहीं होते हैं तो आयोग के समक्ष आपकी उपस्थिति को बाध्यकारी बनाने के लिए, आयोग भारत के संविधान के अनुच्छेद 338क के खंड (8) के अधीन प्रदत्त सिविल न्यायालय की शक्तियों का प्रयोग करने के लिए स्वतंत्र होगा।

भवदीय

(मिरांडा इंगुदम/Miranda Ingudam)

निदेशक / Director

Tel:- 011-20819841

Email:- [m.ingudam@sansad.nic.in](mailto:m.ingudam@sansad.nic.in)